भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 236

उत्तर देने की तारीख: 24.06.2019

विद्यालयों में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण

236. श्रीमती राम्या हरिदासः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में छात्राओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार को देखते हुए उनके लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण को विद्यालयों में अनिवार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध् में सरकार को क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क)और(ख): स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना अर्थात समग्र शिक्षा शुरू की है। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण समग्र शिक्षा के तहत एक कार्यकलाप है। देश में बालिकाओं और महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या में हो रही वृद्धि और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा के मद्देनजर सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं के बीच आत्मरक्षा और आत्म-विकास के जीवन कौशल सहित आत्मरक्षा कौशल के प्रतिपादन हेतु इस प्रयोजनार्थ 3000 रूपये प्रति स्कूल प्रतिमाह की दर से दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ये स्कूल कक्षा 6 से 12 तक की और लाभवंचित समूह से संबंध रखने वाली छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल हैं।

राज्यों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए निधियन प्राप्ति हेतु उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत निर्भया निधि के तहत या अन्य राज्य सरकार योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए परामर्श दिया जाता है।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान, समग्र शिक्षा योजना के तहत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए 134835 प्रारंभिक स्कूलों को 10221.87 लाख और 76581 माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को 6227.23 लाख रुपए अनुमानित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु अनुमोदित स्कूलों की संख्या, स्वीकृत निधि और हुए व्यय का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

*****

संलग्नक

''विद्यालयों में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण'' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती राम्या हरिदास **द्वारा दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.236 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।**

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत अनुमोदित बजट और प्रगति की सूची

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कक्षा VI से XII			
		बजट अनुमोदित		कुल प्रगति (अनंतिम)	
		वास्तविक (स्कूलों की संख्या)	वित्तीय	वास्तविक (स्कूलों की संख्या)	वित्तीय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	146	13.14	146	13.14
2	आंध्र प्रदेश	6615	595.35	6615	595.35
3	अरुणाचल प्रदेश	1070	96.30	787	41.40
4	असम	4771	429.39	4316	331.03
5	बिहार	6065	545.85	1262	158.70
6	चंडीगढ़	198	17.82	198	17.58
7	छत्तीसगढ़	2884	259.56	400	34.99
8	दादरा और नगर हवेली	141	12.69	141	12.69
9	दमन और दीव	57	5.13	57	5.04
10	गोवा	121	10.89	13	1.14
11	गुजरात	22968	747.12	7433	705.06
12	हरियाणा	3055	274.95	1338	120.49
13	हिमाचल प्रदेश	4707	423.63	4707	344.52
14	जम्मू और कश्मीर	2412	208.92	0	0.00
15	झारखंड	480	43.20	379	35.01
16	कर्नाटक	4629	416.61	0	0.00
17	केरल	2061	185.49	2061	62.22
18	लक्षद्वीप	35	2.38	35	2.38
19	मध्य प्रदेश	1020	91.80	873	78.53
20	महाराष्ट्र	1220	109.80	0	0.00
21	मणिपुर	886	79.74	886	79.74
22	मेघालय	101	9.09	0	0.00
23	मिजोरम	1214	109.26	1214	109.26
24	नागालैंड	837	75.33	0	0.00
25	ओडिशा	22237	1495.95	8447	639.88
26	पुडुचेरी	162	14.58	46	4.14
27	पंजाब	6146	368.76	6146	368.76
28	राजस्थान	33588	2474.76	10352	219.04
29	सिक्किम	566	39.42	566	39.42
30	तमिलनाडु	12754	1147.86	12754	1116.17

31	तेलंगाना	12992	1169.28	4017	1.17
32	त्रिपुरा	1471	132.39	1471	132.39
33	उत्तर प्रदेश	45625	4106.25	2408	216.68
34	उत्तराखंड	452	40.68	452	40.68
35	पश्चिम बंगाल	7730	695.70	0	0.00
	कुल योग	**211416**	**16449.07**	**79520**	**5526.59**

स्त्रोत-पीएमएस